


19<sup>8</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली फेंक डई। वकील वादी व वादी  
को आवाज लगाई गई। बार-बार  
आवाज लगाने के बावजूद भी  
वकील वादी व वादी न्यायलय  
में हाजिर नहीं होने पर वादी का  
वाद अहम हाजरी अपम परवी  
में खारिज किया जाता है पत्रावली  
केसल श्रुमार होकर नम्बर कम होकर  
दाखिल दफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनारामगढ़